सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– **श्री उत्तमसिह शेखावत, R.A.S.**

वाद संख्या: 2018/216 | दायर दिनांक 25.06.2018

वादी		प्रतिवादीगण
1. भगवान सिंह पुत्र गोम सिंह, जाति राजपुत, निवासी सुद्रासन, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान	बनाम	1. प्रेमकंवर पत्नि गणपत सिंह, 2. मन्जू कंवर पत्नि बलबीर सिंह, 3. हम सिंह पुत्र गणपत सिंह, 4. भवानी सिंह पुत्र महावीर सिंह, 5. सन्तोष कंवर पत्नि महावीर सिंह, 6. श्योपाल सिंह पुत्र भंवर सिंह, 7. विनोद सिंह पुत्र भंवर सिंह, 8. राजु सिंह पुत्र भंवर सिंह, 9. चेन कंवर पत्नि भंवर सिंह, समस्त जाति राजपुत, निवासी सुद्रासन, तह0 डीडवाना 10. महेन्द्र कुमार पुत्र हरजीराम, जाति जाट, निवासी जतनपुरा, तहसील डीडवाना 11. प्रकाश पुत्र रामलाल, जाति जाट, निवासी बानुड़ा, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर 12. मूलाराम पुत्र किशनाराम, जाति जाट, निवासी सुद्रासन, तहसील डीडवाना, 13. धन्नाराम पुत्र नन्दराम, जाति जाट, निवासी मोरडूंगा, तहसील धोद, जिला सीकर 14. रामलाल पुत्र नाथुराम, जाति जाट, निवासी क्यामसर, तहसील डीडवाना, जिला नागौर 15. मंन्जु दुधवाल पत्नि नेमिचन्द, जाति जाट निवासी नागवा, तहसील धोद, जिला सीकर 16. गीता पत्नि मांगीलाल, जाति जाट, निवासी सुद्रासन, तहसील डीडवाना, जिला नागौर 17. भूराराम पुत्र रामूराम, जात जाट, निवासी नुंवा, तहसील डीडवाना 18. श्रीमान तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा

(अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0 टी0 एक्ट0)

पृष्ठ संख्या .....2.... लगातार

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

उपस्थित :–
1. हीरसिंह बलारा अधिवक्ता वादी की और से।
2. मोहम्मद रफिक अधिवक्ता प्रतिवादी की और से।

–:: **निर्णय** ::–

दिनांक **22.10.2018**

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी खेत खसरा संख्या 502 रकबा 18.14 बीघा वाके सुद्रासन स्थित है, जिसका पूर्व में बंटवारा होने से खसरा संख्या 502 रकबा 12.09 बीघा की खातेदारी प्रतिवादी महेन्द्र कुमार व प्रकाश के नाम दर्ज हैं तथा खसरा संख्या 886/502 रकबा 6.05 बीघा की खातेदारी वादी भगवान सिंह व स्वर्गीय गणपत सिंह के नाम से दर्ज है तथा खसरा संख्या 899/502 रकबा 3.02 बीघा की खातेदारी प्रतिवादीनी प्रेमकंवर के नाम से दर्ज है। तथा खसरा संख्या 502 में से महेन्द्र व प्रकाश द्वारा बेचाण करने पर भवानी सिंह के नाम से 4.11 बीघा व महेन्द्र कुमार व प्रकाश के नाम से 4.16 बीघा की खातेदारी वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुयी, लेकिन प्रतिवादी महेन्द्र कुमार व प्रकाश द्वारा 4.16 बीघा भूमि में से 9 बिस्वा भूमि प्रतिवादी मुलाराम, धन्नाराम व रामलाल को बेचाण करने से इन तीनो के नाम से खातेदारी दर्ज है। तथा प्रतिवादी भंवानीसिंह द्वारा उक्त 4.11 बीघा में से 4 बिस्वा भूमि का बेचाण प्रतिवादीनी मंन्जू दुधवाल व गीता को कर देने से 4 बिस्वा की खातेदारी इन दोनो के नाम से दर्ज है, तथा भवानी सिंह द्वारा उक्त 4.11 बीघा में से 3 बिस्वा भूमि का विक्रय प्रतिवादी भूराराम को करने से 3 बिस्वा भूमि की खातेदारी प्रतिवादी भूराराम के नाम से दर्ज है, तथा प्रतिवादी भवानी सिंह के नाम से 84/187 अर्थात 4.04 बीघा की खातदारी दर्ज है, तथा प्रतिवादी प्रकाश व महेन्द्र के नाम से 9 बिस्वा अन्य को बेचाण कर देने के बाद 4.07 बीघा भूमि की खातेदारी वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, जमाबन्दी की नकल वाद के साथ पेश है। श्रीमान सहायक कलैक्टर डीडवाना के आदेश दिनॉक 21.07.2017 के अनुसार पक्षकारान के नाम से खातेदारी अलग अलग गल्त दर्ज की गयी थी क्योंकि जिस भूमि पर पक्षकार काबिज थे, उससे उल्टा बंटवारा बताकर नामान्तरकरण दर्ज कर दिया, जिसके कारण वादी को बड़ा आघात लगा है। इसके अलावा इस बंटवारे के बाद में प्रतिवादी महेन्द्र कुमार, प्रकाश व भवानी सिंह ने कई बेचाण अन्य पक्षकारान को करवा दिये गयें। तथा उनका इन्द्राज जमावन्दी की नकल में भी हो चुका है। जिसके कारण वादी के बंट हक –हिंस्से व खातेदारी की भूमि का अंकन राजस्व रेकर्ड में सही दर्ज नहीं हुआ है। जबकि वादी व प्रतिवादीगण नम्बर 01 ता 11 के बीच पहले ही मौखिक बंटवारा हो चुका था तथा उसके वाद में वादी व प्रतिवादी नम्बर 01 ता 17 सभी ने मिल बेठकर हाल ही में मौखिक वंटवारा कर अपने अपने बंट में आये हिंस्सो पर काबिज हो गये है जिसके अनुसार खेत खसरा संख्या 502 रकवा 18.14 बीघा में से पूर्वी 6.05 बीघा प्रतिवादी नम्बर 01 ता 09 के वंट व कब्जा काश्त में आयी। तथा इसके चिपते ही 4.04 बीघा भूमि

पृष्ठ संख्या ....3.... लगातार

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी भवानी सिंह के बंट में व 4 बिस्वा प्रतिवादी मन्जु व गीता के बंट में व 3 बिस्वा प्रतिवादी भूराराम के बंट में आयी, तथा उक्त खेत के पश्चिम में 4.07 बीघा भूमि प्रतिवादी प्रकाश व महेन्द्र के बंट में आयी तथा 9 बिस्वा भूमि प्रतिवादी मूलाराम, नन्दराम व रामलाल के बंट व कब्जा काश्त में आयी तथा उसके चिपते ही 3.02 बीघा वादी भगवान सिंह के बंट व कब्जा काश्त में आयी तथा इसी प्रकार पक्षकारान मौके पर काबिज है, इस बंटवारा को वादी ने अपने नजरी नक्शा में दर्शाया है जो वाद का भाग है। नजरी नक्शा वाद के साथ पेश है। वादी उक्त खेत का कानूनी रूप से बंटवारा करवाने का जायज हकदार है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादी को वास्ते जवाब देही न्यायालय में हाजिर होने बाबत् जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 3, 6, 11, 13, 15, 16, 17 बावजूद तामिलगी के न्यायालय में हाजिर नहीं होने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया। वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 14 की और से राजीनामा पेश किया गया, प्रतिवादी संख्या 10 महेन्द्र कुमार की और से ईकबाली जबाब मय अधिवक्ता पेश हुआ।

वादी ने मौखिक साक्ष्य में आदेश 18 नियम 4 सी0 पी0 सी0 का शपथ पत्र पेश किया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में खतौनी की नकल सम्वत् 2073 से 2076 प्रदर्श–1 है, नजरी नक्शा प्रदर्श –2 है, राजीनामा दिनॉक 17.07.2018 प्रदर्श –3 है, राजीनामा दिनॉक 18.07.2018 प्रदर्श –4 है, ईकबाली जबाब प्रदर्श–5 है।

पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन किया।

वादी वाद को जरिये राजीनामा डिक्री किये जाने की इस्तदुआ कर रहा है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर वाके सरहद सुद्रासन में स्थित खसरा संख्या 502 रकबा 18.14 बीघा का बंटवारा होकर खसरा संख्या 502 रकबा 12.09 बीघा, खसरा संख्या 886/502 रकबा 6.05 बीघा दर्ज हो जाने से व खसरा संख्या 502 में से महेन्द्र व प्रकाश द्वारा बेचाण करने पर 3.02 बीघा की खातेदारी खसरा संख्या 899/502 रकबा 3.02 बीघा दर्ज हो जाने से इनका आपसी नया बंटवारा होने से खेत खसरा संख्या 899/502 रकबा 3.02 बीघा, खसरा संख्या 886/502 रकबा 6.05 बीघा मे से पूर्वी 3.03 बीघा कुल 6.05 बीघा पूर्वी प्रतिवादी नम्बर 01 ता 09 के बंट व कब्जा काश्त में रहेगा तथा खसरा

पृष्ठ संख्या .....4..... लगातार

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

संख्या 886/502 रकबा 6.05 बीघा में से शेष 3.02 बीघा प्रतिवादी महेन्द्र व प्रकाश के हिंस्से के चिपते ही वादी भगवान सिंह के बंट व कब्जा काश्त में रहेगा, तथा शेष खेत खसरा संख्या 502 रकबा 9.07 बीघा में से 4.07 बीघा पश्चिमी हिंस्सा महेन्द्र कुमार व प्रकाश के बंट व कब्जा काश्त में रहेगा, तथा शेष 4.04 बीघा भूमि प्रतिवादी भवानी सिंह के बंट व कब्जा काश्त में रहेगी तथा प्रतिवादी मूलाराम, धनाराम व रामलाल के बंट व कब्जा काश्त में 09 बिस्वा भूमि प्रतिवादी भवानी सिंह के हिंस्से से दक्षिण में रहेगी तथा नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार 04 बिस्वा भूमि प्रतिवादी मन्जु दुधवाल व गीता के बंट व कब्जा काश्त में रहेगी तथा 03 बिश्वा मन्जु के चिपता ही प्रतिवादी भुराराम के बंट व कब्जा काश्त में रहेगी, इसी अनुरुप वादी व प्रतिवादीगण को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है, वाद के साथ पेश नजरी नक्शा व राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा, तथा नजरी नक्शा व राजीनामा के अनुसार रेकर्ड में दुरुस्ती हो। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो, इसी अनुरुप राजस्व रेकर्ड दुरुस्त हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 22.10.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकददमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर, डीडवाना

वइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

वाद संख्याः 2018/216 दायर दिनांक 25.06.2018

वादी		प्रतिवादीगण
1. भगवान सिंह पुत्र गोम सिंह, जाति राजपुत, निवासी सुद्रासन, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान	बनाम	1. प्रेमकंवर पत्नि गणपत सिंह, 2. मन्जू कंवर पत्नि बलवीर सिंह, 3. हम सिंह पुत्र गणपत सिंह, 4. भवानी सिंह पुत्र महावीर सिंह, 5. सन्तोष कंवर पत्नि महावीर सिंह, 6. श्योपाल सिंह पुत्र भंवर सिंह, 7. विनोद सिंह पुत्र भंवर सिंह, 8. राजु सिंह पुत्र भंवर सिंह, 9. चेन कंवर पत्नि भवर सिंह, समस्त जाति राजपुत, निवासी सुद्रासन, तह0 डीडवाना 10. महेन्द्र कुमार पुत्र हरजीराम, जाति जाट, निवासी जतनपुरा, तहसील डीडवाना 11. प्रकाश पुत्र रामलाल, जाति जाट, निवासी बानुड़ा, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर 12. मूलाराम पुत्र किशनाराम, जाति जाट, निवासी सुद्रासन, तहसील डीडवाना, 13. धन्नाराम पुत्र नन्दराम, जाति जाट, निवासी मोरडूंगा, तहसील धोद, जिला सीकर 14. रामलाल पुत्र नाथुराम, जाति जाट, निवासी क्यामसर, तहसील डीडवाना, जिला नागौर 15. मंन्जु दुधवाल पत्नि नेमिचन्द, जाति जाट, निवासी नागवा, तहसील धोद, जिला सीकर 16. गीता पत्नि मांगीलाल, जाति जाट, निवासी सुद्रासन, तहसील डीडवाना, जिला नागौर 17. भूराराम पुत्र रामूराम, जात जाट, निवासी नुवा, तहसील डीडवाना 18. श्रीमान तहसीलदार, डीडवाना

वाद बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा

(अन्तर्गत धारा 88 व 188 आर0 टी0 एक्ट0)

दिनांक :– 22.10.2018

–:निर्णय :–

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजरी मिनजानिब मुददई श्री वादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा पटवार क्षैत्र सुद्रासन, भू– निरीक्षक क्षैत्र नूवा, तहसील डीडवाना, जिला नागौर में हस्व दावा अन्तिम डिक्री सादिर कर वाके सुद्रासन में स्थित खेत खसरा संख्या 502 रकबा 18.14 बीघा का बंटवारा होकर खसरा संख्या 502 रकबा 12.09 बीघा, खसरा संख्या 886/502 रकबा 6.05 बीघा दर्ज हो जाने से व खसरा संख्या 502 में से महेन्द्र व प्रकाश द्वारा बेचाण करने पर 3.02 बीघा की खातेदारी खसरा संख्या 899/502 रकबा 3.02 बीघा दर्ज हो जाने से इनका आपसी नया बंटवारा होने से खेत खसरा संख्या 899/502 रकबा 3.02 बीघा, खसरा संख्या 886/502 रकबा 6.05 बीघा में से पूर्वी 3.03 बीघा कुल 6.05 बीघा पूर्वी प्रतिवादी नम्बर 01 ता 09 के बट व कब्जा काश्त में रहेगा तथा खसरा संख्या 886/502 रकबा 6.05 बीघा मे से शेष 3.02 बीघा प्रतिवादी महेन्द्र व प्रकाश के हिस्से के चिपते ही वादी भगवान सिंह के बंट व कब्जा काश्त में रहेगा, तथा शेष खेत खसरा संख्या 502 रकबा 9.07 बीघा में से 4.07 बीघा पश्चिमी

पृष्ठ संख्या ......2..... लगातार

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

हिंस्सा महेन्द्र कुमार व प्रकाश के बंट व कब्जा काश्त में रहेगा, तथा शेष 4.04 बीघा भूमि प्रतिवादी भवानी सिंह के बंट व कब्जा काश्त में रहेगी तथा प्रतिवादी मूलाराम, धनाराम व रामलाल के बंट व कब्जा काश्त में 09 बिस्वा भूमि प्रतिवादी भवानी सिंह के हिंस्से से दक्षिण में रहेगी तथा नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार 04 बिस्वा भूमि प्रतिवादी मन्जु दुधवाल व गीता के बंट व कब्जा काश्त में रहेगी तथा 03 बिश्वा मन्जु के चिपता ही प्रतिवादी भुराराम कें बंट व कब्जा काश्त में रहेगी, इसी अनुरूप वादी व प्रतिवादीगण को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है, वाद के साथ पेश नजरी नक्शा व राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा, तथा नजरी नक्शा व राजीनामा के अनुसार रेकर्ड में दुरूस्ती हो। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो, इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो।

नीज..........–...........मुबलिंग............मुबलिंग...........–..............बावत............–............

खर्चा इस मुकददमें के मय सूद व शरह ....–........... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **22.10.2018** को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक			मिजान		
मिजान					

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांक –16–2015 / रीडर / 2018 / 918 दिनॉक 24/10/18

प्रेषिति :–

तहसीलदार

डीडवाना।

विषय :–अन्तिम निर्णय की पालना करने बाबत।

दावा बाबत् बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 53, 188 R.T.Act.

निर्णय दिनांक 22.10.2018

राजस्व वाद संख्याः 2018 / 216

वादी		प्रतिवादीगण
1. भगवान सिंह पुत्र गोम सिंह, जाति राजपुत, निवासी सुद्रासन, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान	बनाम	1. प्रेमकंवर पत्नि गणपत सिंह, जाति राजपुत, निवासी सुद्रासन, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान वगैरह

उपरौक्त विषयक वर्णित प्रकरण में अन्तिम निर्णय की छाया प्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर इस न्यायालय में भिजवाये, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हों।

सहायक कलक्टर

डीडवाना

Scanned by CamScanner